

कार्यालय जिला संयोजक, जनजातीय कार्य / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य
जिला भोपाल

क्रमांक / 06 / 2023 /

भोपाल, दिनांक 04/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19/10/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक के पद पर नियुक्त किया जाता है-

2/

S.No.	ROLLNO	RANK	NAME	Father's Name	Address	CATEGORY	Selected Category	POSTING PLACE
1	22683318	80	PRASHANT SINGH	JITENDRA SINGH	NA VILL AMOYA POST SARAY MALKADIM HASANGANJ UNNAO U. P. 241503	UR	UR/X/OP	GOVT. ST. ENGLISH MEDIUM BOYS HOSTEL, BADWAI
2	22632988	83	CHHAYA GADEKAR	KANHAIYALAL GADEKAR	HOUSE NO 07 WARD NO 01 NEAR RAM MANDIR SASABAD AMLA BET M. P. 460553	OBC	UR/X/F	GOVT. SC. JR. GIRLS HOSTEL, VINITKUNJ, KOLAR, BHOPAL
3	23268037	141	ABHIJIT KUMAR	BISHWANATH	109 GANDHINAGAR SHAHJIPUR ROAD NAINI PRAYAGRAJ ALLAHABAD U. P. 211008	UR	UR/X/OP	GOVT. SC. SR. BOYS HOSTEL, BHADBHADA ROAD, BHOPAL
4	22818731	1161	KM POOJA DUBEY	DURGESH KUMAR DUBEY	0 AMBEDKAR NAGAR AJITMAL POST AJITMAL AJITMAL AURAIYA U. P. 206121	UR	UR/X/OP	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य भोपाल के विकल्प पर

5	22612801	1477	AJEET PRATPA SINGH	HAKIM SINGH	23 PURWA BHADAURIYA RURUGANJ BIDHUNA AURAIYA U. P. 206249	UR	UR/X/OP	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य भोपाल के विकल्प पर
6	23143106	1746	SANJAY PATEL	GOPAL SINGH	176 UMARJHIR BARDHA BAMHORI SILWANI RSN M. P. 464886	OBC	OBC/X/OP	GOVT. ST. ENGLISH MEDIUM BOYS HOSTEL, BADWAI
7	22655631	4831	FARHAN AHMAD	RASHEED KHAN	168 MANDAWAR MANDAWAR NARSINGHGARH RJH M. P. 465685	OBC	GF/UR/X/OP	GOVT SC. BOYS HOSTEL, INDRAVIHAR, ARIPORE ROAD BHOPAL
8	23143515	5199	AMIT CHATURVEDI	DIVYENDU CHATURVEDI	SUPREEM KIRAN STORE SAWARKAR CHOWK GANJ BASODA GANJ BASODA VID M. P. 464221	EWS	EWS/X/OP	GOVT. BLOCK LEVEL BOYS HOSTEL, FANDA, BHOPAL

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 + 2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14(राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टापपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित

चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस, ई-मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश।
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
- IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र(परिशिष्ट-1)
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- VII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने



के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

11/ परीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए परीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जायेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप:-1. यदि चरित्र/जाति/निःशक्कता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

14/ निम्नलिखित आदेश में पद रिक्त न होने अथवा अनाधिकृतता से आवश्यकतानुसार निर्देशानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

(जिला सचिव/जनजातीय कार्य,
जिला भोपाल,
मध्यप्रदेश)

पृक्रमांक/ 07
प्रतिलिपि:-

/2023/

भोपाल, दिनांक 04/04/2023

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।

5. संभागायुक्त, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. कलेक्टर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
8. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म.प्र ।
10. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला संयोजक, जनजातीय कार्य म.प्र. को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवसों के भीतर अपनी उपस्थिति देवें ।


(जिला संयोजक) सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य,
जिला भोपाल,
मध्यप्रदेश

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....विभाग
 में.....शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

- (1) मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....निवासीग्राम/क
 स्वा/शहर.....जिला.....मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
- (2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रोल
 नम्बर.....

:: शपथ पत्र::

फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकारका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. मैं अविवाहित हूँ / मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान में किया गया है।

शपथग्रहिता

:: शपथ पत्र::

1. मेरी नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग मेंपद पर हुई है, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त पद पर वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजन प्रक्रिया अन्तर्गत पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग/स्कूल शिक्षा विभागमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 में दी गई समस्त जानकारीयां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका आज दिनांक..... को..... में किया गया है।

शपथग्रहिता